POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2015-17 (RNI. REG. NO. 39658/1983) # ग्रा.ग./2015/अंक 11

मासिक प्रेषण दि. 8 नवम्बर, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 नवम्बर, 2015 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! साथ ही 'ग्राम गदर' के सभी पाठकों को मेरी एवं 'कट्स' परिवार की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं!

गांवों का विकास मुख्य रूप से कृषि, छोटे घरेलू उद्योगों और पशुपालन पर निर्भर है। ग्रामीणों को गांव में ही रोजगार उपलब्ध हो, जिससे वे अपना सही तरीके से जीवन निर्वाह कर सकें। उन्हें शहरों की ओर रोजगार के लिए पलायन न करना पड़े।

सूखे की स्थिति किसानों के लिए जानलेवा आपदा साबित होती रही है। कभी मौसम की मार तो कभी जलीय स्थितियां व मृदा की समस्याओं के चलते अन्नदाता कर्ज के जाल में अटका रहता है। इस बार फिर सूखे का दंश झेलना पड़ रहा है, जिसका प्रभाव सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि हमारी आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर भी पड़ेगा। इससे पहले भी ओलों की मार और बेमौसम बारिश ने अन्नदाता की हालत पतली की है। इन हालातों से ग्रामीण युवा वर्ग का कृषि से मोह भंग होता दिख रहा है।

इन आघातों का मुकाबला करने के लिए एक जिम्मेदार सरकार को हर तरीके से किसानों को सहायता मुहैया करानी चाहिए। इसके साथ ही भविष्य में ऐसे हालातों से निपटने और रोकथाम के लिए सरकार कुशल प्रबन्धन और स्थाई नीति बनाएं। मुझे खुशी है कि वर्तमान केन्द्रीय सरकार इन स्थितियों से चिंतित है और कृषि सुधार के लिए नीतियां बनाने में लगी है।

हाल ही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से पांच साल में 50 हजार करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा गया है। इसके क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार को उपयुक्त कदम उठाने होंगे।

अब झूठे मुकदमें करने वालों से मिलेगी राहत

न्यायालयों में झूठे मुकदमें करने वाले अब सचेत हो जाएं। राजस्थान विधानसभा में राजस्थान झूठे मुकदमेबाजी निवारण विधेयक पारित हो गया है। इससे राज्य के उन लोगों की मुसीबतें बढ़ जाएंगी, जिनकी ओर से बार-बार मुकदमेबाजी करके मामले हाईकोर्ट या किसी दूसरे कोर्ट तक लाए जाते हैं। ऐसा करने पर अब उन्हें हर्जाना देना पड़ सकता है। इस कानून के लागू होने से जहां आम आदमी को राहत मिलेगी वहीं सरकार भी इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है।

भारतीय विधि आयोग की 192 वीं रिपोर्ट में भी सुझाव दिया गया था कि झूठे मुकदमें करने वालों के खिलाफ कानून बनाया जाए। इसका प्रदेश सरकार की ओर से 2006 में समर्थन भी किया गया था।

इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से मद्रास लिटिगेशन प्रिवेंशन एक्ट 1949, महाराष्ट्र वेक्सेशियस लिटिगेशन एक्ट 1971 को आधार बना कर यह कानून बनाया गया है।

सरकार का तर्क है कि मुकदमेबाज आधारहीन मामले फाइल करते हैं और न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हैं। इससे संबंधित व्यक्ति को न केवल मानसिक और आर्थिक तौर पर परेशानी होती है, बल्कि न्यायालय का कीमती समय बर्बाद हो जाता है। इससे वास्तविक मामलों को सुनने और तय करने में विलम्ब होता है। सरकार को उम्मीद है कि नए कानून से सभी को राहत मिलेगी।

कुत्ता काटने से हुई मौत के लिए नगर निगम जिम्मेदार

जिला उपभोक्ता मंच जयपुर ने कुत्ता काटने से 6 साल के बच्चे की हुई मौत के लिए जयपुर नगर निगम को दोषी मानते हुए पीड़ित परिवार को दस लाख रुपए की क्षतिपूर्ति अदा करने का आदेश दिया है।

मंच ने यह आदेश जयपुर स्थित तारों की कूट निवासी मैनेजर रॉय की ओर से दायर परिवाद पर सुनवाई करते हुए दिए। श्री रॉय ने अपने परिवाद में बताया कि उनका छह साल का बेटा घर के बाहर खेल रहा था। तभी वहां तीन-चार आवारा कुत्ते आए और उनके बेटे बिट्टू को जगह-जगह से काट लिया। एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराने के बाद 22 मई 2011 को उसकी मौत हो गई।

उपभोक्ता मंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि निगम आमजन से अलग-अलग टैक्स वसूल करता है। ऐसे में उसकी सामाजिक और वैधानिक जिम्मेदारी है कि वह सफाई, सीवरेज और रोडलाइट के साथ-साथ आवारा जानवरों आदि को भी पकड़े। इसके लिए यह जरूरी नहीं कि निगम को हर समय सूचना दी जाए कि कहां-कहां आवारा कुत्ते घूम रहे हैं। निगम का कर्तव्य है कि वह अपने स्तर पर आवारा पशु व कुत्तों की रोकथाम सुनिश्चित करें। मंच ने नगर निगम को आदेश दिए कि वह पीड़ित परिवार को दस लाख रुपए बतौर मुआवजा अदा करे साथ ही दस हजार रुपए परिवाद खर्च भी परिवादी को दें।

जैविक खेती पर राज्य स्तरीय परिचर्चा

'कट्स' द्वारा स्वीडिश सोसायटी फॉर नेचर कन्जरवेशन के सहयोग से जयपुर में जैविक खेती पर राज्य स्तरीय परिचर्चा का आयोजन किया गया। लोगों में जैविक उत्पादों के प्रति जागरूकता लाना, खेती में नीतिगत सुधार को बढ़ावा देना और रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों के दुष्प्रभावों से लोगों को अवगत कराना इसका मुख्य मकसद था।

कार्यक्रम के प्रारंभ में 'कट्स' के निदेशक जॉर्ज चेरियन ने कहा कि यह कार्यक्रम ग्रीन एक्शन वीक 2015 के तहत आयोजित किया गया है, जो कि दुनिया के 27 देशों में स्वीडिश सोसायटी फॉर नेचर कन्जरवेशन के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भारतीय लोग यूरोपियन देशों की तुलना में निर्धारित मानक से 750 गुणा अधिक रासायनिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग फल, सब्जियों व अन्य खाद्य पदार्थों द्वारा कर रहे हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है।

कार्यक्रम में राजस्थान एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टिट्यूट के डॉ. ए.के. गुप्ता तथा श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्व विद्यालय, जोबनेर के डॉ. एस.आर शर्मा और कृषि विज्ञान केन्द्र, चौमूं के एस.एस. राठौड़ ने अतिथियों के रूप में भाग लेते हुए जैविक खेती के बारे में विस्तार से जानकारी दी और इसे अपनाने हेतु सरल तरीकों से संभागियों को अवगत कराया। परिचर्चा में उपभोक्ता संगठनों, स्वयंसेवी तथा शैक्षिक संस्थाओं तथा किसान वर्ग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

कागजों में ही खरीद ली सोलर लाइटें

राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत मुख्यालय के प्रमुख चौराहों, पंचायत भवनों व प्रमुख स्थलों पर सोलर लाइटें लगाने के आदेश दिए थे। जिसके तहत ग्राम पंचायतों में सोलर लाइटें खरीदी गई। लेकिन किसी ग्राम पंचायत में कागजों में तो किसी में निर्धारित से अधिक दरों पर खरीद कर ली।

राज्य सरकार के आदेश पर हुई जांच में अब तक कोटा व बारां जिले की 92 ग्राम पंचायतों में गड़बड़झाला सामने आ चुका है। जांच में करीब 3 करोड़ 26 लाख रुपए के अनियमित भुगतान की गड़बड़ी उजागर हो चुकी है। कोटा जिले की 45 ग्राम पंचायतों और बारां जिले की 47 ग्राम पंचायतों में घालमेल सामने आया है। अन्य पंचायत समितियों के अधीन आने वाली ग्राम पंचायतों में विस्तृत जांच शुरू हो गई है।

आदर्श ग्राम पंचायतों को मिलेगा फंड

सांसद आदर्श ग्राम योजना और मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना के तहत चयनित ग्राम पंचायतों को निर्माण कार्य के लिए 20 लाख रुपए तक का फंड राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। राज्य सरकार ने नरेगा योजना के तहत आदर्श ग्राम योजना और आदर्श ग्राम पंचायतों में पक्के व स्थाई निर्माण कार्यों के लिए यह राशि मंजूर करने की सहमति दी है।

आगामी छह महीने में मंजूर की गई इस राशि को खर्च करना जरूरी होगा। दोनों आदर्श ग्राम योजनाओं के निर्माण कार्यों की राज्य सरकार उच्च स्तर पर मॉनिटरिंग भी करेगी।

प्रदेश में लगेंगी उपभोक्ता लोक अदालतें

राज्य आयोग और जिला मंचों में लम्बित प्रकरणों के जल्दी निस्तारण के लिए खाद्य एवं उपभोक्ता मामले विभाग प्रदेश में वैकल्पिक शिकायत निवारण प्रणाली लागू करेगा। विभाग की ओर से नियमित लोक अदालतों के माध्यम से उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण किया जाएगा।

हाल ही खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात मंत्री हेम सिंह भड़ाना ने यह जानकारी देते हुए बताया कि दीपावली पर मिलावट, कालाबाजारी व अनुचित व्यापार रोकने के लिए सम्बन्धित विभागों की संयुक्त टीम गठित कर राज्यव्यापी चैकिंग अभियान चलाया जाएगा।

बैठक में राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन 18001806030 भी जारी किया गया।

गांवों में आएंगे 13 हजार करोड़ रुपए

मनरेगा समेत अनेक योजनाओं के अलावा राजस्थान में पंचायतीराज एवं उनकी विभिन्न गतिविधियों के संचालन के लिए केन्द्रीय 14वें वित्त आयोग ने 13 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके अलावा भी केन्द्र सरकार विकास कार्यों के लिए हर संभव मदद करेगी।

यह जानकारी केन्द्रीय पंचायतीराज राज्य मंत्री निहाल चन्द ने देते हुए कहा कि यह राशि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गांवों के समग्र विकास की सोच के लिए ग्राम पंचायतों को सीधे ही उपलब्ध कराई जाएगी। इससे प्रदेश के गांवों का समग्र विकास हो सकेगा। उन्होंने कहा कि मिलने वाली धनराशि से गांव में करवाए जाने वाले विकास कार्यों की प्राथमिकता तय की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य शिविर

चिकित्सा मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने कहा है कि स्वस्थ्य प्रदेश की अवधारणा को साकार करने के लिए आरोग्य राजस्थान अभियान के तहत एक दिसम्बर 2015 से 31 मार्च 2016 तक ग्राम पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य शिविर लगेंगे।

विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने यह जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 46 हजार से अधिक आशा सहयोगिनों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर जाकर ई-हैल्थ कार्ड बनाने के लिए सर्वेक्षण फार्म भरवाए जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की सफलता को दृष्टिगत रखते हुए केबिनेट ने इस योजना के लिए 50 हजार करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। यह धन राशि 5 वर्षों में खर्च की जाएगी।

यह जानकारी केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने देते हुए कहा है कि केबिनेट द्वारा लिया गया यह महत्वपूर्ण निर्णय है। योजना के तहत प्रत्येक राज्य को जिला स्तर पर सिंचाई की योजनाएं बनाकर इसे क्रियान्वित करना होगा। यह योजना हमारे संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए है। योजना के तहत सिंचाई के लिए जल का संरक्षण और पुनर्भरण किया जाएगा। किसानों के लिए यह योजना काफी फायदेमन्द सिद्ध होगी।

आधारभूत सुविधाएं

आम लोगों तक आधारभूत सुविधाओं की पहुंच को ध्यान में रख कर आर्थिक विकास को सुनिश्चित किया जाता है। इनमें पानी, बिजली, सड़क, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास सेवाएं खासतौर से शामिल हैं। केन्द्र व राज्य सरकारें इन आधारभूत सुविधाओं के लिए हर साल बजट में करोड़ों रुपए का प्रावधान करती है। लेकिन सरकार के कागजों और व्यवहारिक रूप में बहुत बड़ा अन्तर रहता है।

जनकल्याण की जो भावना बजट के समय दिखाई पड़ती है वह आम जन के लिए केवल एक सपना बन कर रह जाती है। क्योंकि, सरकारी नौकरशाही घोषणाओं पर समयबद्ध रूप से अमल नहीं करती। इससे मंत्रियों की जनता में विश्वसनीयता घटती है। -लक्ष्मण सिंह, ब्यावर

खाद्य सुरक्षा एक्ट से जुड़ा मिड-डे मील

केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून में मिड-डे मील को शामिल कर लिया है। इस कानून के तहत मिड-डे मील के नियम बनाए गए हैं। इन नियमों के लागू होने से अब सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 8 तक के हर बच्चे को मिड-डे मील देना अनिवार्य होगा।

लापरवाही होने पर सरकार से लेकर इससे जुड़े अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की गई है। नियमों में मिड डे मील नहीं देने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा भत्ता देने का प्रावधान भी किया गया है।

इससे प्रदेश के करीब 67 लाख बच्चों को फायदा होगा। बच्चों को परोसे गए भोजन की मासिक जांच मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में कराने का भी प्रावधान नियमों में है।

किसानों को हर संभव मदद का भरोसा

प्रदेश से मानसून विदा हो चुका है और 33 में से 15 जिलों में औसत से कम बारिश होने से सूखे के हालात पैदा हो गए हैं। राज्य सरकार ने गिरदावरी के आदेश दे दिए हैं। सरकार सूखे से प्रभावित किसानों को हर संभव मदद देगी। कृषि मंत्री प्रभु लाल सैनी ने किसानों को यह भरोसा दिया है।

उन्होंने कहा है कि किसानों की मदद में सरकार कभी भी पीछे नहीं रहेगी। सरकार ने ओलावृष्टि और बेमौसम वर्षा से हुए नुकसान में भी प्रभावित किसानों को मदद देने के लिए आपदा राहत कोष के मापदंड बदल कर छत्तीस सौ करोड़ रुपए की मदद दी है।

जिन स्थानों पर भी तैतीस प्रतिशत से अधिक फसल खराब हुई है, प्रभावित किसानों को आपदा राहत, मौसम आधारित बीमा योजना एवं अन्य योजनाओं के तहत मदद दी जाएगी।

ग्राहक सुविधा केन्द्र

भारत सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय के सौजन्य से 'कट्स' इन्टरनेशनल द्वारा ग्राहक सुविधा केन्द्र की स्थापना की गई है।

आप उपभोक्ता सम्बन्धित किसी भी तरह की जानकारी अथवा शिकायत के लिए निम्न पते पर सम्पर्क कर सकते हैं।

ग्राहक सुविधा केन्द्र
कंज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी (कट्स)
डी-218 ए, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016
ई-मेल: gsk@cuts.org फोन +091.141.4015395

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर